रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032024-253329
CG-DL-E-22032024-253329

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2024/चैत्र 2, 1946
No. 61]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2024/CHAITRA 2, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2024

आ.अ. 67(अ).— यत:, मणिपुर राज्य में 1-आंतरिक मणिपुर, 2-बाह्य मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के अनेक निर्वाचक बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण दूसरे स्थानों पर आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं और अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर राहत शिविरों सहित विभिन्न स्थानों में अस्थायी रूप से रहे हैं; और

यत:, भारत निर्वाचन आयोग ने, ऐसे आंतरिक रूप से विस्थापित निर्वाचकों के मताधिकार को ध्यान में रखते हुए, निदेश दिया कि ये अपने अस्थायी विस्थापन के बावजूद, संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में अपने नामों के समावेशन/प्रतिधारण के लिए अपने संबंधित स्थानों के सामान्य निवासियों के रूप में माने जाते रहेंगे और इसलिए, उनके नामों को 01.01.2024 की अर्हक तारीख के संदर्भ में उक्त निर्वाचन क्षेत्रों के संक्षिप्त रूप से पुनरीक्षित निर्वाचक नामावलियों में शामिल किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी;

अब, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना के अनुसरण में, वर्ष 2024 में आयोजित किए जाने वाले लोक सभा के साधारण निर्वाचन में मतदान करने के प्रयोजनार्थ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 1-आंतरिक मणिपुर और 2-बाह्य मणिपुर के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित पूर्वोक्त विस्थापित निर्वाचकों, जो अपने निवास स्थान के बाहर निवास कर रहे हैं, को एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है जिन्हें ऊपर उल्लिखित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की प्रादेशिक सीमाओं के बाहर भी

राहत शिविरों में स्थापित किए जाने वाले ***विशेष मतदान केंद्रों*** में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

[सं. 3/एमआर/2024 (2)]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2024

O.N. 67(E).—Whereas, a number of electors of 1-Inner Manipur and 2-Outer Manipur Parliamentary Constituencies in the State of Manipur have internally displaced because of compelling circumstances and have been temporarily residing in various places including relief camps outside their place of ordinary residence; and

Whereas, the Election Commission of India, having regard to the right of franchise of such internally displaced electors, directed that these shall continue to be treated as ordinary residents of their respective places, for inclusion/retention of their names in the electoral roll of the constituency concerned, despite their temporary displacement and as such their names were allowed to be included in the electoral rolls of the said constituencies summarily revised with reference to 01.01.2024 as the qualifying date;

Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of powers conferred by Article 324 of the Constitution of India read with Section 25 of the Representation of the People Act, 1951, for the purpose of giving votes at the poll in the general election of the House of the People, to be held in the year 2024, in pursuance of the notification to be issued by the President of India under Section 14 of the Representation of the People Act, 1951, hereby ***specifies*** the aforesaid displaced electors enrolled in any of the Parliamentary Constituencies of 1-Inner Manipur and 2-Outer Manipur, who are residing outside their place of residence shall be provided facility to vote by Electronic Voting Machines at ***special polling stations*** to be set up in the relief camps even outside the territorial limits of the Parliamentary Constituencies mentioned above.

[No. 3/MR/2024 (2)]

By Order,

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.22 23:07:19 +05'30'